राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–114/2015/जोधपुर

राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक–(तृतीय) जोधपुर, तहसील एवं जिला–जोधपुर (राज.)। ...प्रार्थी

बनाम

1. श्री सतीश मल्होत्रा पुत्र श्री सुभाष चन्द, जाति–मल्होत्रा पंजाबी, निवासी–94 जी, मालवीय नगर, जोधपुर तहसील एवं जिला जोधपुर (राज.)
2. डॉ हरेन्द्र सिंह चौधरी पुत्र स्वं. श्री कालीचरण सिंह, जाति–जाट, निवासी–बी–1, कृष्णा नगर, न्यू पाली रोड़, जोधपुर, तहसील एवं जिला जोधपुर (राज.) ...अप्रार्थीगण

एकलपीठ

श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित :

श्री जमील जई

उप–राजकीय अभिभाषक ...प्रार्थी की ओर से

अनुपस्थित ..अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2

निर्णय दिनांक : 11.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक (तृतीय) जोधपुर द्वारा विद्वान कलक्टर, (मुद्रांक) जोधपुर वृत–जोधपुर (जिसे आगे **'कलक्टर मुद्रांक'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 28.08.2014 प्रकरण संख्या 157/2012 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है जिसमें उपंपजीयक जोधपुर (तृतीय) द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज किया गया हैं।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी के समक्ष अप्रार्थीगण के द्वारा प्रस्तुत देस्तावेज क्रमांक 16526 दिनांक 14.11.14 को पंजीबद्ध दस्तावेज बाद पंजीयन रेन्डम निरीक्षण के दौरान मौका अनुसार भूखण्ड बाईपास 200 फीट पर स्थित होने से जिला कमेटी द्वारा निर्धारित दरों के फुटनोट अनुसार 10 प्रतिशत अतिरिक्त मालियत रूपये 2955758/–रूपये निर्धारित कर उक्त मालियत पर पंजीयन शुल्क कमी मुद्रांक की कुल राशि 10,160/– रूपये वसूल करने हेतु धारा–54 के तहत अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया परन्तु राशि जमा न होने पर प्रार्थी द्वारा धारा–51 के तहत रेफरेन्स प्रस्तुत किया जिसे

लगातार.....2

अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किया गया, जिसकी पालना में अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा जवाब पेश किया गया एवं बहस उभयपक्ष सुन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स खारिज कर अपना निर्णय दिनांक 28.08.14 पारित किया हैं जिससे व्यथित होकर प्रार्थी / विभाग द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत की गई हैं।

3. निगरानी दर्ज की जाकर रिकॉर्ड व अप्रार्थीगण को तलब किया गया। अप्रार्थीगण बावजूद तामील अनुपस्थित रहें।

4. बहस विद्वान उपराजकीय अभिभाषक एकपक्षीय सुनी गई।

5. विद्वान उपराजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि निर्णय पुनरीक्षण इस बिन्दु पर भी निरस्ती योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उपपंजीयक तृतीय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स में उपपंजीयक चतुर्थ से मौका रिपोर्ट तलब करवाना दुर्भाग्यपूर्ण कार्यवाही एवं बाद की मौका रिपोर्ट की सही मानने का कोई आधार नहीं जबकि मौका रिपोर्ट एक पक्षीय बनाई गई। गवाह के नाम पते तक अंकित नहीं होने के बावजूद ऐसी अपूर्ण एंव अविधिक मौका रिपोर्ट को आधार मानते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने में अहम कानूनी त्रुटि कारित की है जो जैरे निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं। निर्णय पुनरीक्षणाधीन इस बिन्दु पर भी निरस्ती योग्य है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियमावली 2004 के नियम 58(2) में राष्ट्रीय राजमार्ग, मेगा हाईवे, राज्य राजमार्ग के लिए निर्धारित मापदण्ड अनुसार ही डी.एल.सी. निर्धारित करने का प्रावधान किया गया है जिस ओर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई ध्यानाकर्षण न कर निर्णय पारित करने में अहम कानूनी त्रूटि की है जो जैरे निगरानी निरस्त किये जाने योग्य हैं। इन्होने निगरानी स्वीकार किये जाने हेतु निवेदन किया।

6. हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार हैं :–

7. निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, प्रार्थना पत्र में अंकित कारण कि प्रशासनिक प्रकिया में समय लगा है संतोषजनक होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने के दृष्टिगत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

8. निगरानी में मुख्य आधार यह है कि मौका रिपोर्ट उपपंजीयक चतुर्थ से करवाया जाना उचित नहीं था व मौका रिपोर्ट अपूर्ण हैं।

प्रकरण में दस्तावेज का पंजीयन उपपंजीयक जोधपुर तृतीय द्वारा किया गया है तथा रेफरेन्स भी उपपंजीयक जोधपुर तृतीय द्वारा प्रस्तुत किया गया हैं। निष्पक्ष दृष्टिकोण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने अन्य उपपंजीयक (चतुर्थ) जोधपुर से मौका निरीक्षण करवाया है जिसमें कोई अनियमितता नहीं मानी जा सकती। मौका निरीक्षण रिपोर्ट बहुत स्पष्ट एवं विवेकशील ढंग से तैयार की गई हैं जिसकी सत्यता पर कोई संदेह नहीं किया जा सकता। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं हैं।

9. विचाराधीन प्रकरण में रेफरेन्स इस बिन्दु पर आधारित था कि सम्पत्ति मुख्य बाई–पास 200 फीट पर स्थित होने के कारण मूल्यांकन 10 प्रतिशत अतिरिक्त दर पर किया जाकर मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क वसूला जाना चाहिए। अधीनस्थ न्यायालय ने मौका निरीक्षण करवाकर यह माना है कि सम्पत्ति 30 फीट चौडी डामर रोड पर स्थित है उसके पश्चात् ग्रीन बेल्ट की भूमि व उसके बाद बाई–पास हैं। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्य प्रमाणित नहीं मानते हुये रेफरेन्स खारिज किया हैं जो न्यायोचित एंव विधिसम्मत है तथा इस निर्णय में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं हैं।

10. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर निगरानी सारहीन होने के कारण खारिज की जाती हैं।

11. निर्णय सुनाया गया।

नथूराम 11/1/2017
(नत्थूराम)
सदस्य